

7.

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-111/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० लवलीन सिद्धार्थ, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरण, नबीनगर, औरंगाबाद का विभागीय आदेश संख्या-228(2) दिनांक-17.02.2025 द्वारा दिनांक-01.11.2024 से 31.10.2025 तक कुल-365 (तीन सौ पैंसठ) दिन की अवधि को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था।

2. डा० लवलीन सिद्धार्थ के आवेदन के आलोक में उक्त अवकाश को दिनांक-01.11.2025 से 31.10.2026 तक कुल-365 (तीन सौ पैंसठ) दिन उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1717(25), दिनांक-24.09.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में विस्तारित करते हुए स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० लवलीन सिद्धार्थ के पक्ष में शून्य दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-111/2024- 1651/2 पटना, दिनांक 20/ 7/ 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरण, नबीनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. P. M. K. 19/7/26
सरकार के उप सचिव
R